

प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 117/2025)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

<https://www.trai.gov.in>

तत्काल जारी करने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

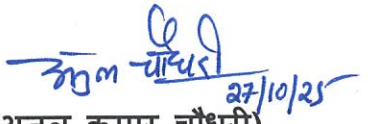
निजी प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने हेतु दिनांक 3 अक्टूबर 2025 की अनुशंसाओं पर शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2025- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एम.आई.बी.) ने अपने 23 अप्रैल 2024 के रिफरेंस के माध्यम से निजी रेडियो प्रसारकों के लिए एक डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार हेतु भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (ए) (i) के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से अनुशंसाएं मांगी थीं।

2. "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने" पर भादूविप्रा ने 3 अक्टूबर 2025 को अपनी अनुशंसाएं सरकार को भेजी थीं।

3. भादूविप्रा की उपरोक्त अनुशंसाओं पर एक शुद्धिपत्र आज जारी किया गया है और यह भादूविप्रा की वेबसाइट: www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवा), भादूविप्रा से टेलीफोन नं + 91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।


(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा